न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 53/2021 बउनवानी गजेन्द्र सिंह फौजदार बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपु
पुत्र श्री रामसिंह जाट, निवासी सैनिक नगर कॉलेज रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.7.2021	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(98)सूकाअ/2021/833 दिनांक 30.4.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर कार्यालय के उपर बने कमरो में जनवरी, 2021 से निवास कर रहे है क्या यह सही है यदि नही तो कार्यालय के उपर बने कमरो मे कब से निवास कर रहे है।
2. कार्यालय के उपर बने कमरो मे उपजिला कलेक्टर साहब के अतिरिक्त अन्य कौन–कौन कार्मिक निवास कर रहे है उनका नाम व पद एवं कब से निवास कर रहे है।
3. श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर के वर्तमान निवास का पता चाहिए एवं वर्तमान पते पर कब से निवास कर रहे है। का विवरण चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं एसडीओ वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना का अधिकार/2021/977 दिनांक 20.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र के माध्यम से उपखण्ड कार्यालय के उपर बने कमरो मे श्री नरेन्द्र कुमार एसडीओ या अन्य कोई भी कर्मचारी निवास नही करते है तथा उपजिला कलेक्टर माह नवम्बर,2020 से श्री शेरसिंह जाट के मकान में रहने के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा जरिये ई–मेल अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को जानबूझकर सूचना नही दी जा रही है जबकि उपजिला कलेक्टर शेरसिंह के मकान में नवम्बर–दिसम्बर, 2020 मे रहे थे जनवरी,2021 से आदिनांक तक उपजिला कलेक्टर कार्यालय के उपर बने कमरो मे रहते है। अतः सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.4.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना रिकार्ड पर संघारित नही है किन्तु चाही गयी सूचना के संबंध मे जानकारी अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 977 दिनांक 20.7.2021 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। यद्यपि अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी है किन्तु अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिवस के स्थान पर लगभग 75 दिवस के उप[illegible] प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी,सूचना का अधिकार अधिनियम,20[illegible] गम्भीर नही है। जो उक्त अधिनियम एवं राजकार्य के प्रति उदासीनता [illegible] अधिकारी उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को निर्देशित किया [illegible] उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता से निस्त[illegible]या जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण [illegible] जाता है। पत्रावली [illegible]मार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर